एम. एस. रामचंद्र राव और जसजीत सिंह बेदी से पहले, जे. जे.

मेसर्स लेख राज नरिंदर कुमार और ओआरएस- याचिकाकर्ता

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. - प्रतिवादी 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1954 (ओ. एंड एम.)

13 जुलाई, 2022

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14,226,227- निरंतर उत्तरदायी- बैंक द्वारा बढ़ाई गई ऋण सुविधाओं के लिए दी गई व्यक्तिगत उत्तरदायी को रद्द करना- जिस तारीख को निरसन लागू होगा- एक बार उत्तरदायी रद्द होने के बाद व्यक्तिगत उत्तरदायी के निर्वहन के लिए गारंटर के दायित्व का विस्तार- व्यक्तिगत उत्तरदायी समझौते में खंड के संदर्भ में जारी किया गया पत्र और नोटिस व्यक्ति को उसकी देनदारियों से मुक्त करता है- हालांकि व्यक्ति बैंक द्वारा इस तरह की सूचना की प्राप्ति की तारीख/ बैंक द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने तक बैंक की देनदारियों को चुकाने के लिए बाध्य होगा- याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत उत्तरदायी को रद्द करने के लिए बैंक या उधारकर्ता द्वारा किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है- गारंटर को अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

यह तथ्य कि बैंक ने डी. आर. टी. - II, चंडीगढ़ के समक्ष 2020 का ओ. ए. No. 40 दायर किया था और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता उक्त कार्यवाही में अपना बचाव कर सकते हैं, भी पूरी तरह से अप्रासंगिक है ।भारत के संविधान के Art. 226 के तहत याचिकाकर्ताओं का

इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार बैंक की ओर से इस तरह के अधिनियम द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।

(पैरा 61)

अक्षय भान, ए. एस. तलवार द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता

बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अधिवक्ता सौरभ भारद्वाज और अधिवक्ता मयंक अग्रवाल ने सहायता की।

एम. एस. रामचंद्र राव, जे. द बैकग्राउंड फैक्ट्स

(1) याचिकाकर्ता संख्या 1 एक साझेदारी फर्म है जिसका गठन 26. 04. 1974 पर किया गया है और याचिकाकर्ता संख्या 3 (मेसर्स लेख राज नरिंदर कुमार और ओआरएस बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के साथ 19. 10. 2012 पर इसका पुनर्गठन किया गया है उनके एचयूएफ के कर्ता), उनके भाई देवराज मिगलानी (उनके एचयूएफ के कर्ता के रूप में), और उनके बेटे हिंदू हाई स्कूल, कैथल के पास अंबाला- जिंद रोड पर चावल मिल का व्यवसाय करने के लिए भागीदार के रूप में।

(2) प्रतिवादी संख्या 2 एक अन्य साझेदारी फर्म है जिसका गठन 10. 09. 1985 किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 के भाइयों अशोक कुमार मिगलानी और सुरिंदर कुमार मिगलानी सहित 5 भागीदारों के साथ 19. 10. 2012 पर इसका पुनर्गठन किया गया था।3 और देवराज मिगलानी कैथल के शेरगढ़ रोड पर एक और चावल मिल का व्यवसाय करेंगे।

(3) दोनों फर्मों के भागीदर श्री लेखाराज मिगलानी के वंशज हैं। और इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं।

(4) प्रतिवादी संख्या 1- बैंक (संक्षेप में ' बैंक') ने प्रतिवादी संख्या 2 को 21. 01. 2013 पर Rs. 30 करोड़ की CC सीमा सुविधा प्रदान की थी।

(5) दोनों फर्मों के भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण, और चूंकि संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दी गई संपत्तियों में से एक (शेरगढ़ रोड, कैथल में स्थित एक चावल शेलर इकाई) याचिकाकर्ता संख्या 3, श्रीमती कृष्ण रानी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। (याचिकाकर्ता संख्या 4 की माँ, जिनकी मृत्यु 23. 07. 2016 पर हुई थी) , याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी No. 2- firm के भागीदारों और अन्य लोगों के साथ बैंक के पक्ष में उन सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की गई थी।

(6) हालाँकि याचिकाकर्ताओं द्वारा निष्पादित वास्तविक गारंटी पत्र दोनों पक्षों द्वारा दायर नहीं किया गया है, लेकिन यह विवाद में नहीं है कि यह संलग्नक पी- 4 में उल्लिखित प्रारूप में है और इसमें निम्नलिखित खंड शामिल हैः-

‘‘ यह गारंटी मुझे/ हमें और मेरे/ हमारे व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को तब तक निरंतर प्रतिभूति के लिए बाध्य करेगी जब तक कि बैंक द्वारा इसे बंद करने के लिए लिखित सूचना की प्राप्ति नहीं हो जाती है और हम में से किसी के द्वारा या किसी को या अधिक लोगों को समय देने या समय देने के बावजूद यह गारंटी दूसरे या अन्य लोगों के लिए एक निरंतर प्रतिभूति बनी रहेगी और यदि सूचना द्वारा बंद कर दी जाती है तो यह गारंटी फिर भी ऐसी सूचना देने वाले पक्ष या पक्षों के लिए उपलब्ध रहेगी (कुल राशि की उपरोक्त सीमा के अधीन) और ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख पर बैंक के मूलधन के सभी ऋण और देनदारियों तक विस्तारित होगी।

(7) श्री नरिंदर मिगलानी (एच. यू. एफ.) और श्री देवराज मिगलानी (एच. यू. एफ.) का विभाजन कर दिया गया ।01. 04. 2016.

उक्त विभाजन के कारण, याचिकाकर्ता संख्या 3 और याचिकाकर्ता संख्या 4 का हित प्रतिवादी को दिए गए ऋण के संबंध में बैंक को गिरवी रखी गई संपत्तियों में समाप्त हो गया। (8) इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता संख्या 1- फर्म का संविधान भी बदल गया।

(9) याचिकाकर्ता संख्या 1, याचिकाकर्ता संख्या 3 से 5 ने बैंक को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि फर्मों की संपत्ति और व्यवसायों के स्वामित्व का पूरा परिदृश्य बदल गया है; याचिकाकर्ता नं. 1–फर्म और प्रतिवादी नं. 2–फर्म के बीच उस समय मौजूद क्रॉस-गारंटी को रद्द करने की आवश्यकता है; कि ऐसी गारंटी तब दी गई थी जब संपत्तियों का संयुक्त स्वामित्व था; अब वे संबंधित फर्मों के भागीदारों के स्वामित्व में हैं; इसलिए दोनों फर्मों और उनके भागीदारों द्वारा क्रॉस- गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है।उन्होंने कहा कि उक्त पत्र को उत्तरदायी को रद्द करने के लिए नोटिस के रूप में माना जाना चाहिए; कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 तक प्रतिवादी नं. 2 की क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे; और यदि उक्त पत्र की तारीख के बाद बैंक द्वारा कोई सीमा स्वीकृत या नवीनीकृत की जाती है, तो वे इसके लिए गारंटर के रूप में खड़े नहीं होंगे।(10) इसके जवाब में बैंक ने एक पत्र लिखा।21. 02. 2017 (अनुलग्नक पी- 8) करनाल में उक्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी जारी करने की सिफारिश करना।

(11) इसके बाद, प्रतिवादी No. 2- फर्म की सुविधाओं का नवीनीकरण संलग्नक पी- 9 पत्र दिनांक 18.03.2017 के माध्यम से किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उस समय, याचिकाकर्ता संख्या 4 को बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि गारंटी जारी करने की प्रक्रिया संलग्नक पी- 8 के आधार पर चल रही थी, और इसलिए याचिकाकर्ता संख्या 3 ने बैंक के प्रलोभन को मानते हुए सद्भावना से मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर किए।

(12) याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह बैंक द्वारा प्रतिवादी No. 2- फर्म को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का वार्षिक नवीनीकरण था और संलग्नक पी- 9 नवीनीकरण के बाद, याचिकाकर्ताओं ने कभी भी अपनी गारंटी जारी नहीं रखी और बार- बार इसे रद्द कर दिया।

(13) संलग्नक पी- 10 दिनांक 23. 06. 2017 याचिकाकर्ता No. 1- फर्म द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा से संबोधित एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि बैंक के अधिकारियों ने प्रतिवादी No. 2- फर्म के सीमा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उनसे इस आधार पर संपर्क किया था कि उक्त बैंक के केंद्रीय कार्यालय ने गारंटी को रद्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

याचिकाकर्ता; और मजबूर करने वाली परिस्थितियों और दबाव के कारण,

अंतिम बार वे सीमा मेसर्स लेख राज नरिंदर कुमार और ओआरएस बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए सीमा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

" विरोध में" 10. 03. 2017 पर प्रतिवादी No. 2- firm को स्वीकृत/ बढ़ाया गया; और उक्त पत्र को याचिकाकर्ता No. 1- firm और उसके भागीदारों द्वारा गारंटी को रद्द करने के नोटिस के रूप में माना जाए।यह भी कहा गया है कि उन्हें प्रतिवादी No. 2- firm की सीमाओं के नवीनीकरण/ वृद्धि से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा।

(14) याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 17. 04. 2018 पर, बैंक ने फिर से याचिकाकर्ताओं से गारंटी के एक अलग विलेख के तहत 5 करोड़ रुपये की तदर्थ सीमा तदर्थ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया, जो उन्होंने किया; लेकिन याचिकाकर्ता उस नियमित सीमा के नवीनीकरण तदर्थ सहमत नहीं थे, जिसके संबंध में उन्होंने गारंटी को रद्द कर दिया था। तब से 5 करोड़ रुपये की उक्त सीमा को समायोजित कर दिया गया है।

(15) इसके बाद 23. 05. 2018 पर याचिकाकर्ता द्वारा बैंक गारंटी को रद्द करने के लिए बैंक को एक और नोटिस (अनुलग्नक पी- 11) दिया गया।

(16) गारंटियों को रद्द करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के नोटिस के बावजूद, बैंक ने 17. 06. 2018 पर प्रतिवादी संख्या 2 फर्म की CC सीमाओं के नवीनीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा।

(17) तहत ईमेल दिनांक 21. 07. 2018 याचिकाकर्ताओं ने बैंक गारंटी को रद्द करने के संबंध में फिर से एक ईमेल (अनुलग्नक पी- 12) लिखा।(18) तहत संलग्नक पी15 दिनांक 7. 9. 2018, बैंक ने नवीनीकरण के लिए मंजूरी दी और 5 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रतिवादी संख्या 2 फर्म की ऋण सुविधा को भी बढ़ाया।इन मंजूरी की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि खाता एकमात्र बैंकिंग खाता होगा और इस प्रकार किसी भी निधि को डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।इसने श्री कृष्ण कुमार मिगलानी की 27. 8. 2018 पर गारंटी जारी करने के बारे में विधिवत ध्यान दिया क्योंकि वह किसी भी संपार्श्विक संपत्ति के मालिक नहीं थे।आश्चर्य की बात है कि नोट में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए किसी भी नोटिस का ध्यान दें नहीं है।

(19) याचिकाकर्ताओं ने बैंक से ईमेल द्वारा से गारंटी को रद्द करने का अनुरोध किया ईमेल दिनांक 28. 3. 2019 द्वारा (अनुलग्नक पी- 16) और ईमेल दिनांक 13. 4. 2019 (अनुलग्नक पी- 17) में पहले के दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। दिनांक 23. 06. 2017 और 23. 05. 2018।

सीडब्ल्यूपी- 20484- 2019

(20) यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 फर्म के खाते में धन डालने के लिए मजबूर कर रहा था, कि याचिकाकर्ताओं ने बैंक से एक ऋण भी

लिया है जो विभिन्न संपत्तियों द्वारा सुरक्षित है, और बैंक इस अवलोकन का उपयोग याचिकाकर्ता को अपने निधियों को कवर करने के लिए मजबूर करने के कर रहा है ताकि फर्म को धन के साथ खडा ना किया जा सके कि व्यक्गित गांरटी पहले से ही संशोधित है।, उन्होंने 2019 का सी. डब्ल्यू. पी. No. 20484 दायर किया।

(21) इसके बाद प्रतिवादी ने नोटिस दिनांक 14.11.2019 जारी करके गिरवी रखी गई संपत्तियों के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की। अभियोग 13 (2) और नोटिस दिनांक 30. 1. 2019 अभियोग 13 (4) के तहत।

(22) 30. 01. 2020 पर, इस न्यायालय ने CWP- 20484- 2019 में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता केवल गारंटर के रूप में खड़े हुए हैं और कृष्ण कुमार को उत्तरदायी को रद्द करने की अनुमति दी गई है याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उनके मामले पर प्रतिवादी बैंक द्वारा उसी आधार पर विचार नहीं किया गया है याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाए और उनके मामले पर कृष्ण कुमार के सादृश्य पर विचार किया जाए याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन करने की अनुमति है और इसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक विस्तृत आदेश पारित करके प्रतिवादी बैंक द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

प्रतिवादी बैंक के विद्वान वकील ने न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि केवल याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं।

रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।"

(23) विवादित आदेश

निर्देशों के अनुपालन में, संलग्नककर्ताओं ने एक अभ्यावेदन अनुबंध पी- 26 दिनांक 17- 02- 2020 प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत किया (24) आक्षेपित आदेश दिनांक 08. 09. 2020 कुछ कारण बताते हुए याचिकाकर्ताओं के अनुरोधों को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया था, जिन पर बाद में विचार किया जाएगा।

(25) याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि:(i) बैंक ने उच्च न्यायालय के आदेशों और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों की पूरी तरह से अनदेखी की थी ।विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य मुद्दों से निपटने के बजाय उन्होंने कहा है कि मेसर्स लेख राज डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई है और उसमें सभी याचिकाएं ली जा सकती हैं और यह उसकी ओर से टालमटोल करने वाला आचरण था।

((ii) याचिकाकर्ताओं ने कई मुद्दों को उठाया था, जिसमें उधार कर्ताओ द्वारा धन के हस्तांतरण की अनुमति देने में बैंक की मिलीजुली कार्रवाई, याचिकाकर्ता ओं को गारंटी में गारंटर के रूप में शामिल ध्यान देंना, इसके बावजूद कि उन्होंने गारंटी को रद्द ध्यान दें दिया था, गारंटी को रद्द कर देंने के बाद पहले से ही धन की सेवा के बारे में मुद्दा और समान रूप से स्थित व्यक्तियों की गारंटी जारी ध्यान देंना शामिल था ।किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया है और बैंक ने यह कहते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है कि डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी गई है और सभी याचिकाओं को वहां लिया जाना चाहिए।

((ग) आक्षेपित आदेश का पैरा 2 (क) इस गलत आधार पर आगे बढ़ता है कि गारंटी जारी नहीं की जा सकती क्योंकि खातों को पहले ही एन. पी. ए. घोषित कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने खातों को एन. पी. ए. घोषित करने से बहुत पहले ही गारंटी को रद्द कर

दिया था और गारंटी जारी करने पर रद्द करने की तारीख पर विचार किया जाना चाहिए, न कि एन. पी. ए. की घोषणा के बाद।

(iv) बैंक का यह रुख कि उधारकर्ता ने गारंटी जारी करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है, भी सही नहीं है क्योंकि गारंटी विलेख में उधारकर्ता के पूर्व अनुमोदन पर विचार नहीं किया गया है; कि गारंटी एक अलग अनुबंध है, जो इसकी शर्तों द्वारा शासित है और इसे इसकी शर्तों के तहत रद्द किया जा सकता है।गारंटी की शर्तों के तहत, उधारकर्ता की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(v) याचिकाकर्ताओं ने 10.02.2017 से अप्रैल 2019 तक गारंटी को रद्द करने के लिए विभिन्न नोटिस जारी किए हैं।इसके आलोक में, औपचारिक विज्ञप्ति जारी नहीं करने में बैंक की कार्रवाई मनमाना और कानून की नजर में अस्थिर है।बैंक, एक प्रमुख स्थिति में होने के कारण, और कानून के अधिकार के बिना, याचिकाकर्ताओं को बिना किसी सूचना के एक हाथ मोड़ने वाले तंत्र का उपयोग करके राशि जमा करने के लिए मजबूर कर रहा है।

बैंक द्वारा दाखिल किया गया जवाब

(26) बैंक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 दो फर्म हैं जिनके परिवार के सदस्य समान हैं और उन्होंने विभिन्न खातों में व्यक्तिगत गारंटी सहित गारंटी देकर सुविधाओं का लाभ उठाया है।याचिकाकर्ता ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए गारंटर बने हुए हैं जो मंजूरी पत्र दिनांक 18.03.2017 (अनुलग्न-पी-9) की प्रति से स्पष्ट है। जहां 45 करोड से 500 करोड की क्रेडिट सुविधा मे वद्धि हुई और गारंटी के दस्तावेजों को याचिकाकर्ताओं को विधिवत निष्पादित किया गया था।

(27) कि वर्ष 2017-18 के दौरान, रु।प्रतिवादी संख्या 2 को भी 10 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन वही राशि बरामद की गई।23.06.2017 और 17.04.2018 पर उन

सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र/ गारंटी की प्रति संलग्नक आर/ 2 (कॉली) के रूप में संलग्न की गई है।

(28) याचिका वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता इस तथ्य के बावजूद वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए अधिनियम में उपाय मौजूद है।

(29) याचिकाकर्ता ने 2019 की पिछली रिट याचिका सी. डब्ल्यू. पी. No. 20484 में वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया है।हालाँकि, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 30. 01. 2020 केवल कृष्ण कुमार के समान सादृश्य पर प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।इसलिए, याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका में उसी मुद्दे को फिर से नहीं उठा सकता है और कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार एक विशिष्ट प्रतिबंध है।

(30) पिछली रिट याचिका में अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत गारंटी से मुक्त कर दिया जाए क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया है और एक अन्य सह- गारंटीकर्ता कृष्ण कुमार के मामले में भरोसा रखा गया है।उस मामले में भी डी. टी. पत्र पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी। (अनुलग्नक पी- 10) और अधिसूचना दिनांक 23. 05. 2018 (अनुलग्नक पी- 11) जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में है।

(31) जहाँ तक पहले अक्षर पत्र दिनांक 23.06.2017 की बात है। संबंधित है, यह कहा गया है कि इसके बाद 17. 04. 2018 पर, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के नवीनीकरण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।इसलिए, 17. 04. 2018 पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद गारंटी को कथित रूप से रद्द करना अर्थहीन हो गया है, जो बिना किसी विरोध के स्वतंत्र इच्छा से किया गया है।(32) याचिकाकर्ता बैंक गारंटी को रद्द करने और बैंक

गारंटी को वापस लेने के पूरे मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा सबसे पहले नोटिस दिनांक 23.05.2018 पर भरोसा रखा गया है। (अनुलग्नक पी- 11), लेकिन इसकी रसीद विवादित है क्योंकि इसमें केवल बैंक की एक सरल मुहर है जबकि पत्र दिनांक 23. 06. 2017 मे डाक टिकट के बिना स्पष्ट हस्ताक्षर होता है।

(33) यहां तक कि बैंक में प्राप्त पत्र माने जाने वाले तर्क के लिए भी यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह गारंटी विलेख के तहत या भारतीय अनुबंध अधिनियम की खंड 130 के संदर्भ में बैंक गारंटी का निरसन नहीं है। उक्त पत्र में, बैंक का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं ने कहाः

"इस प्रकार, इस अनुरोध को मैसर्स लेख राज नरिंदर कुमार और उनके भागीदारों द्वारा गारंटी वापस लेने के लिए पूर्व सूचना के रूप में माना जाना चाहिए।भविष्य में, हम मेसर्स लेख राज एंड संस के नवीनीकरण/ सीमा बढ़ाने से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।"

(34) बैंक ने आगे तर्क दिया किः

हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने संलग्न क पी- 12 दिनांक 21.07.2018 पर भरोसा किया। शाखा को भेजी गई एक अन्य कथित निकासी, उसी को एम. सी. बी., दक्षिण दिल्ली शाखा को भेजा गया था जिसमें याचिकाकर्ता के ऋण खाते चल रहे हैं और याचिकाकर्ता की गारंटी की निकासी के लिए कैथल में संबंधित शाखा को नहीं; उसी की आगे की सामग्री से केवल यह पता चलता है कि वे की व्यक्तिगत गारंटी के संबंध में कुछ पूछताछ का जवाब दे रहे थे। श्री अशोक कुमार मिगलानी और एस. सुरिंदर कुमार मिगलानी;

- याचिकाकर्ता स्वयं, न केवल पत्रों से, बल्कि पूरे समय केवल उन सभी देनदारियों से वापसी के अपने अनुरोध पर विचार कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने गारंटी विलेख में हस्ताक्षर किए हैं, जो उच्च अधिकारियों से अनुमोदन के अधीन है, यानी गारंटी विलेख के तहत अपने पूरे दायित्व का निर्वहन, और नोटिस द्वारा सरल निरसन की मांग नहीं करते हैं, जिसका पूरी तरह से अलग परिणाम होता है ।तर्कों के साथ- साथ पत्र की सामग्री के खाली अवलोकन से पता चलता है कि यह याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मौजूदा गारंटी के तहत उनकी देनदारियों की वापसी थी, जो गारंटी विलेख में प्रदान की गई बैंक गारंटी के निरसन से पूरी तरह से अलग है ।

(35) इस न्यायालय द्वारा विचार

इस मामले में, हमें देखने की आवश्यकता हैः

(i) क्या बैंक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी रद्द कर दी गई थी?

((ख) यदि ऐसा है तो किस तारीख से?

(iii) और क्या दायित्व, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता अभी भी बाध्य हैं

निर्वहन के लिए, यदि व्यक्तिगत गारंटी को रद्द किया जाना है?बैंक के पक्ष में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकृत रूप से निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी विलेख के खंड में कहा गया हैः-

‘‘ यह गारंटी मुझे/ हमें और मेरे/ हमारे व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को तब तक निरंतर प्रतिभूति के लिए बाध्य करेगी जब तक कि इसे बंद करने के लिए बैंक ऑफ नोटिस द्वारा लिखित में रसीद नहीं मिल जाती है और हम में से किसी के द्वारा या किसी को या अधिक लोगों को समय देने या समय देने के बावजूद यह गारंटी दूसरे या अन्य लोगों के लिए एक निरंतर प्रतिभूति बनी

रहेगी और यदि सूचना द्वारा बंद कर दी जाती है तो यह गारंटी फिर भी ऐसी सूचना देने वाले पक्ष या पक्षों के लिए उपलब्ध रहेगी (कुल राशि की उपरोक्त सीमा के अधीन) और सभी ऋण और ऋण के लिए विस्तारित होगी।

इस तरह की सूचना की प्राप्ति की तारीख पर बैंक के लिए मूलधन की देनदारियाँ।

(36) उपरोक्त खंड के पठन से निम्नलिखित का अनुमान लगाया जा सकता हैः

क) याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी लिखित सूचना द्वारा, व्यक्तिगत गारंटी को बंद किया जा सकता है;

ख) समाप्ति के बावजूद, गारंटी अन्य या अन्य लोगों के लिए एक निरंतर प्रतिभूति बनी रहेगी जिन्होंने समाप्ति की मांग नहीं की थी।

ग) यदि सूचना द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो गारंटी इस तरह की सूचना देने वाले पक्षों पर भी लागू होती रहेगी और प्रिंसिपल के सभी ऋण और देनदारियों पर भी लागू होगी।

ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि पर बैंक।

(37) यह एक निरंतर गारंटी है।अनुबंध अधिनियम, 1872 का Sec. 129 ' निरंतर गारंटी' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

"129. निरंतर गारंटीः- एक गारंटी जो लेन- देन की एक श्रृंखला तक फैली होती है, उसे ' निरंतर गारंटी' कहा जाता है।" (38) अनुबंध अधिनियम का Sec. 130 निरंतर गारंटी के निरसन के पहलू से संबंधित है।इसमें कहा गया हैः

"130. निरंतर गारंटी को निरस्त करनाःभविष्य के लेन- देन के बारे में, लेनदार को सूचना देकर, किसी भी समय मुचलकेदार द्वारा निरंतर गारंटी को रद्द किया जा सकता है।"

(39) हम कुछ निर्णयों पर विचार करेंगे जो गारंटी पर लागू होने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

(40) इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कन्नौर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड 1 मामले में उच्चतम न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया गया कि गारंटी का अनुबंध एक स्वतंत्र लेनदेन है जिसमें स्वतंत्र और पारस्परिक दायित्व होते हैं और यह प्राथमिक लेनदेन के संबंध में अनुबंध नहीं है और यह मूल से मूल आधार पर होता है।

(41) सिंडिकेट बैंक बनाम चन्नवीरप्पा बेलेरी और

अन्य 2 उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 से 130 पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया था कि उत्तरदायी का दायित्व उसके अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है और उत्तरदायी के तहत दायित्व की सीमा के साथ- साथ यह सवाल भी कि उत्तरदायी का दायित्व कब उत्पन्न होगा, विशुद्ध रूप से अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा।

(42) रेणु गुप्ता बनाम ऋण वसूली न्यायाधिकरण- II

चंडीगढ़ सीडब्ल्यूपी- 9138- 2012 दिनांक 27. 05. 2013 इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 130 के तहत, ऋणदाता को नोटिस द्वारा भविष्य के लेनदेन के रूप में एक निरंतर गारंटी किसी भी समय प्रतिभूति द्वारा रद्द की जा सकती है; कि एक बार गारंटी विलेख अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 130 के संदर्भ में गारंटी को रद्द करने की अनुमति देता है, तो गारंटरों का दायित्व लेनदार द्वारा लिखित रूप में रद्द करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, और उन्हें उक्त तिथि

पर उधारकर्ता के खाते में खड़ी राशि से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

(43) उपरोक्त संदर्भित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या ऐसा करने में बैंक उचित था।

(44) उपरोक्त संदर्भित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या ऐसा करने में बैंक उचित था।

(45) यह विवाद में नहीं है कि पत्र दिनांक 10. 02. 2017 (पी7) सबसे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से यह कहते हुए जारी किया गया था कि परिवार में विभाजन के बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 फर्मों के भागीदारों के अलग- अलग स्वामित्व को देखते हुए, क्रॉस गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है;

उक्त पत्र को गारंटी को रद्द करने के लिए नोटिस के रूप में माना जाए

याचिकाकर्ताओं की और यदि कोई सीमाएँ स्वीकृत या नवीनीकृत की जाती हैं

1 2002(5) एससीसी 54

2 2006(11) एससीसी 506

बैंक द्वारा उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 फर्म को बैंक, वे उसी के लिए गारंटर के रूप में खड़े नहीं होंगे।

(46) इस पत्र की प्राप्ति पर स्वीकार किया जाता है कि 21. 02. 2017 पर संलग्नक पी8 के माध्यम से करनाल में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिल्ली में अपने मुख्य कार्यालय को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी जारी करने की सिफारिश की गई थी।

(47) जबकि मुख्य कार्यालय के साथ व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के संबंध में निर्णय लंबित था, प्रतिवादी संख्या 2 फर्म की नकद क्रेडिट सुविधाओं के नवीनीकरण/ वृद्धि का प्रस्ताव 18- 03- 2017 पर किया गया था। से जो 45 करोड़ रु. रे 50 करोड़ था और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें इसके लिए व्यक्तिगत गारंटी को नवीनीकृत करने के लिए मजबूर किया गया था।(48) लेकिन बाद में 23. 06. 2017 पर, उन्होंने फिर से संलग्नक P10 लिखा जिसमें कहा गया कि वे प्रतिवादी संख्या 2 फर्म को ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटर के रूप में खड़े नहीं होंगे और उन्होंने विरोध के तहत 18. 03. 2017 पर नवीनीकरण/ वृद्धि के लिए सीमा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।उन्होंने इस पत्र के संलग्नक पी10 दिनांक 23.06.2017 द्वारा अनुरोध किया इसे गा रंटी के निरसन के लिए सूचना की लय मे माना जाये।

(49) हमारी राय में, यह पत्र संलग्नक पी10 याचिकाकर्ताओं द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी समझौते में उपरोक्त खंड के संदर्भ में जारी किया गया है और उन्हें 23. 06. 2017 से सभी देनदारियों से मुक्त करता है, जबकि उन्हें बैंक द्वारा इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख तक बैंक को प्रतिवादी संख्या 2 की देनदारियों का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।

(50) बैंक के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि उधारकर्ता का ऋण खाता 31. 10. 2019 पर एन. पी. ए. बन गया था और इसलिए बैंक विवादित आदेश के पैरा 2 (ए) में बताई गई गारंटी जारी करने में असमर्थ है। 08. 09. 2020. उधारकर्ता/ प्रत्यर्थी संख्या 2 के ऋण खाते का एन. पी. ए. 23. 06. 2017 के बहुत बाद हुआ था, जब याचिकाकर्ताओं द्वारा संलग्नक पी10 के माध्यम से निरसन की सूचना दी गई थी और बैंक द्वारा प्राप्त की गई थी। इसलिए व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि लेनदार द्वारा लिखित रूप में प्रतिसंहरण की सूचना प्राप्त होने की तारीख को गारंटरों

की देनदारी स्पष्ट हो जाएगी और उन्हें उक्त तारीख को उधारकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जैसा कि रेणु गुप्ता (2 ऊपर) में रखा गया है।

(51) बैंक यह भी उल्लेख करने का हकदार नहीं है कि उधारकर्ता का ऋण खाता 17. 04. 2019 (आक्षेपित आदेश के पैरा 2 (c)) के बाद लगातार दबाव में है या याचिकाकर्ताओं द्वारा 28. 03. 2019 या 29. 03. 2019 (आक्षेपित आदेश के पैरा 2 (d)) पर कुछ धन डालने से मैसर्स लेख राज नरेंद्र कुमार और ओआरएस बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है! याचिकाकर्ता क्योंकि उक्त घटनाएं, 23. 6. 2017 के बहुत बाद हुईं, और इस मुद्दे पर निर्णय के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।

(52) इसमें कोई संदेह नहीं है कि रु. की एक तदर्थ सुविधा। बैंक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 फर्म को 17. 04. 2018 पर 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उक्त सुविधा के लिए याचिकाकर्ताओं ने अलग- अलग गारंटी दी, जैसा कि संलग्नक आर 1 (कोली) दिनांक 17.04.2018 से देखा जा सकता है। मान लीजिए कि उक्त दायित्व का निर्वहन कर दिया गया है और यह अस्तित्व में नहीं है।

(53) इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उस सुविधा के लिए इस तरह की अलग- अलग गारंटी के निष्पादन का बैंक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दी गई मुख्य सी. सी. सीमा सुविधा को दी गई व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने पर कोई असर नहीं पड़ता है, और यह बैंक के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि यह आचरण याचिकाकर्ताओं द्वारा 23. 06. 2017 पर उनके द्वारा दिए गए संलग्नक पी- 10 के अनुसार व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने के अपने अधिकार को माफ करने और 23. 6. 2017 से परे व्यक्तिगत गारंटी को जारी रखने के बराबर होगा।इसलिए, विवादित आदेश के पैरा 2 (बी) में दिए गए कारण को स्वीकार नहीं

किया जा सकता है कि क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपये की तदर्थ सीमा तदर्थ गारंटी दी थी, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने निरसन को स्वीकार या माफ कर दिया है ।मानक लाल बनाम प्रेम चंद 3 में निर्णय

पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर 4 के पहलू पर

प्रतिवादी के लिए वकील द्वारा उद्धृत अधिकार की छूट का उपरोक्त कारणों से तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है ।

(54) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने बाद के पत्राचार में दिनांक 23. 05. 2018 (पी11) ईमेल दिनांक 21. 07. 2018 (पी12) ने व्यक्तिगत गारंटी के ' निकासी' शब्द का इस्तेमाल किया ।हमारी राय में यह भी याचिकाकर्ताओं द्वारा दोहराया गया है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 2 फर्म की देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटी के तहत प्रतिवादी संख्या 1 बैंक को 23. 6. 2017 के बाद उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, और उनके द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के निरसन के बाद सभी देनदारियों के पूर्ण दोषमुक्ति के दावे के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

(55) हम याचिकाकर्ताओं के वकील के इस तर्क से सहमत हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने के लिए बैंक या प्रतिवादी संख्या 2 फर्म/ उधारकर्ता द्वारा किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, कि ऐसी आवश्यकता पर व्यक्तिगत गारंटी के अनुबंध की शर्तों के तहत विचार नहीं किया गया है, और बैंक के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि इस तरह की मंजूरी के बिना, रद्द करने का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है ।इसलिए, बैंक सही नहीं है ।

3 ए. आई. आर 1957 एस. सी. 425

4 2011 (14) डी. सी. सी. 770

आक्षेपित आदेश के पैरा 2 (ई) में यह तर्क देते हुए कि उधारकर्ता ने गारंटी जारी करने के लिए सहमति नहीं दी है और इसलिए व्यक्तिगत गारंटी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

(56) हमारी सुविचारित राय में, जब बैंक की कैथल शाखा ने स्वयं अपने मुख्य कार्यालय से संलग्नककर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी को रद्द करने की अनुशंसा की थी।21. 2. 2017, पत्र संलग्नक पी एंड दिनांक के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निरसन को प्रतिग्रहण करना करने से बैंक का इनकार।10. 2. 2017 या बाद का प्रतिसंहरण संलग्नक पी10 दिनांक 23. 6. 2017 और विवादित आदेश दिनांक 08.09.2020 में कानूनी रूप से असमर्थनीय रुख अपनाना। दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, अनुचित और याचिकाकर्ताओं को परेशान करने का इरादा है।

(57) एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम निर्यात ऋण गारंटी

कॉर्प. 5. उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक उपयुक्त मामले में, राज्य के खिलाफ एक रिट याचिका या एक संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होने वाली इसकी साधनता बनाए रखने योग्य है जहां राज्य की ऐसी कार्रवाई या इसकी साधनता मनमाना और अनुचित है और अनुच्छेद 14 के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती है।इसमें कहा गयाः

"27. हमारी उपरोक्त चर्चा से, एक रिट याचिका की रखरखाव के बारे में निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत सामने आते हैंः(क) एक उपयुक्त मामले में, एक राज्य या एक संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न एक राज्य की साधनता के खिलाफ एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य है।

(ख) केवल इसलिए कि तथ्य के कुछ विवादित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, यह नियम के रूप में सभी मामलों में रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

(ग) मौद्रिक दावे की परिणामी राहत से जुड़ी एक रिट याचिका भी विचारणीय है।

28. हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की स्थिरता के बारे में एक आपत्ति पर विचार करते समय, अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी भी अन्य प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं है ।उच्च न्यायालय के पास मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है ।न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं -

5 2004 (3) एस. सी. सी. 553, पृष्ठ 571 पर

इस शक्ति का प्रयोग करें ।(व्हर्लपूल कॉर्पन देखें ।v. ट्रेड मार्क्स का पंजीयक 15.) और उच्च न्यायालय के विशेषाधिकार रिट जारी करने के इस पूर्ण अधिकार का प्रयोग आम तौर पर न्यायालय द्वारा अन्य उपलब्ध उपायों को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य की ऐसी कार्रवाई या इसकी साधनता मनमाना और अनुचित न हो ताकि अनुच्छेद 14 के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हो या अन्य वैध और वैध कारणों के लिए, जिनके लिए न्यायालय उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना आवश्यक समझता है ।'' (जोर दिया गया)

(58) इसके अलावा जब तथ्य के कोई विवादित प्रश्न नहीं होते हैं और मामला एक अनुबंध में एक खंड की व्याख्या को चालू कर देता है, तो याचिकाकर्ताओं को ऋण वसूली न्यायाधिकरण या दीवानी अदालत में बोझिल, महंगे और विलंबित वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है ।

(59) एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड (6 सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंचुरी एस. पी. जी. और एम. एफ. जी. के मामले में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया था ।

कं. लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद 6 जिसमें उसने अभिनिर्धारित किया थाः

"केवल तथ्य का प्रश्न उठाए जाने के कारण, उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक निकाय के खिलाफ दीवानी मुकदमे द्वारा कुछ लंबी, विलंबकारी और महंगी प्रक्रिया द्वारा राहत पाने के लिए मुकदमाकार की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराएगा ।इस मामले में याचिका द्वारा उठाए गए तथ्य के प्रश्न प्राथमिक हैं ।"

(60) इसलिए हम बैंक की इस दलील को खारिज करते हैं कि इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए कहा जाना चाहिए ।

(61) यह तथ्य कि बैंक ने डी. आर. टी. - II, चंडीगढ़ के समक्ष 2020 का ओ. ए. No. 40 दायर किया था और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता उक्त कार्यवाही में अपना बचाव कर सकते हैं, भी पूरी तरह से अप्रासंगिक है ।भारत के संविधान के Art. 226 के तहत याचिकाकर्ताओं का इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार बैंक की ओर से इस तरह के अधिनियम द्वारा रद्द नहीं किया जाता है ।

(62) हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को बैंक द्वारा केवल कृष्ण कुमार के मामले के सादृश्य पर उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए एक निर्देश के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जो भागीदारों में से एक है, जिसकी व्यक्तिगत गारंटी उसके द्वारा जारी की गई है ।यह इस विषय पर कानून लागू करने और मुद्दे से निपटने के लिए बाध्य था और यह

6 1970 (1) एससीसी 582

याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए हास्यास्पद तर्क और असमर्थनीय कारण नहीं दे सकते थे ।

(63) यह तर्क देने के लिए भी खुला नहीं है कि याचिकाकर्ता 2019 CWP no. 20484 में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को तत्काल रिट याचिका में आंदोलन करने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में गुण- दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(64) इन सभी कारणों से, विवेक याचिका की अनुमति दी गई हैः ए। आदेश दिनांक 8. 9. 2020 बैंक द्वारा पारित किए जाने को मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के Art. 14 और भारत में निरंतर गारंटी से संबंधित कानून का उल्लंघन माना जाता है।

बी। संलग्नक पी- 10 दिनांक 23. 6. 2017 याचिकाकर्ताओं के पत्र को उक्त तिथि से याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी का एक प्रभावी प्रतिसंहरण माना जाता है और यह माना जाता है कि बैंक को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बैंक को देय राशि से अधिक व्यक्तिगत गारंटी के तहत उनसे किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार नहीं है ।ग. कोई लागत नहीं।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

प्रियंका शर्मा

माननीय न्यायालय श्री यशविन्द्र पाल सिंह अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)